JKK/प्रशासनिक अनुभाग/733/2025-26 दिनांक 25/8/2025

जवाहर कला केन्द्र, जयपुर

जे.एल.एन.मार्ग जयपुर–302004

ई–निविदा दस्तावेज

जवाहर कला केन्द्र में मासिक आधार एवं केन्द्र के कार्यक्रमों में किराये पर वाहन की सेवाओं हेतु ई–निविदा द्वारा वार्षिक दर संविदा

ई–निविदा सूचना संख्या 733 /2025–26

Scanned with CamScanner

ई–निविदा सूचना संख्या /2025–26

UBN No. : **Date :**

NIB No. :

1. जवाहर कला केन्द्र में मासिक आधार एवं केन्द्र के कार्यक्रमों में किराये पर वाहन की सेवाओं हेतु ई–निविदा द्वारा वार्षिक दर संविदा कार्य हेतु संबंधित व्यवसाय कर रहें व्यवहारियों से ई–निविदा निविदा आमंत्रित की जाती है:–

क्र.सं.	बोली संख्या	/2025–26
1	उपापन अधिकारी	महानिदेशक
2	निविदा का संक्षिप्त विवरण	जवाहर कला केन्द्र में मासिक आधार एवं केन्द्र के कार्यक्रमों में किराये पर वाहन की सेवाओं हेतु ई–निविदा द्वारा वार्षिक दर संविदा
3	निविदा की अनुमानित लागत	रूपये 35.00 लाख मय जी.एस.टी.
4	निविदा का प्रकार	ई–निविदा (द्वि–लिफाफा पद्धति)
5	निविदा विक्रय (Download) प्रारंभ करने की दिनांक एवं समय	दिनांक 25-8-25 अपरान्ह् 1.00 बजे **(Can be downloaded from https://sppp.raj.nic.in, https://eproc.rajasthan.gov.in/& jkk.artandculture.rajasthan.gov.in)**
6	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक	दिनांक 08.09.25 अपरान्ह् 12.00 बजे
7	निविदा प्रपत्र की कीमत	रूपये 1,000/– डी.डी./बैंकर्स चैक अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के नाम से देय होगा। इसे निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।
8	निविदा प्रोसेसिंग फीस	निविदा प्रोसेसिंग फीस राशि रूपये 500 /- (Rupees Five Hundred Only) डी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में "MD, RISL Jaipur" payable at "Jaipur" जमा करना अनिवार्य है।
9	बोली प्रतिभूति (Bid Security)	लागत राशि का 2 प्रतिशत राशि रूपये 70,000/– डी.डी./बैंकर्स चैक/एफ.डी.आर अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के नाम से देय होगा। इसे निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।
10	निविदा शुल्क, निविदा प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति जमा कराने की अन्तिम दिनांक	दिनांक 08.09.25 को अपरान्ह् 2.00 बजे
10	तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक	दिनांक 08.09.25 को अपरान्ह् 4.00 बजे
11	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक व समय	तकनीकी निविदा में सफल निविदा दाताओं को सूचित किया जाऐगा।
12	निविदा जमा कराने/खोलने का स्थान :–	जवाहर कला केन्द्र, जयपुर। जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर–302004
13	निविदा की वैद्यता अवधि	निविदा जमा कराने की तिथि से 90 दिवस
14	आपूर्ति अवधि	1 वर्ष
15	निविदा हेतु अधिकृत अधिकारी	अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर।

Scanned with CamScanner

2. निविदादाता, निविदा दस्तावेज में उल्लेखित निर्धारित समयावधि में जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के स्टोर अनुभाग से निविदा शुल्क जमा करवाकर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है, या स्वयं जवाहर कला केन्द्र की वेबसाइट से डाउनलोड करने की स्थिति में निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति राशि जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट (अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर) जमा कराना होगा। निविदा शुल्क, बिड प्रोसेसिंग शुल्क व निविदा प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा दाता को तकनीकी रूप से असफल माना जायेगा व उनकी वित्तीय निविदा स्वीकार नही की जायेगी। उक्त कार्य के संबंध में किसी प्रकार की सूचना एवं स्पष्टीकरण हेतु किसी भी कार्य दिवस में इस कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

3. निविदा हेतु निर्धारित फीस/सुरक्षा राशि आदि को निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय के सहायक अभियन्ता के कक्ष में रखे सीलबंद बॉक्स में निर्धारित समय एवं तिथि पर जमा करावें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त शुल्क बिना किसी विचार के निरस्त कर दी जावेगी। निविदा प्राप्त होने में हुई देरी के लिये विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

अतिरिक्त महानिदेशक
जवाहर कला केन्द्र, जयपुर

Scanned with CamScanner

निविदा की मुख्य शर्तें

Important Instructios: The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act. 2012" (hereinafter called the Act) and the "Rajasthan Transparency Public Procurement Rules, 2013" (hereinafter called the Rules) under the said Act have come into force which is available on the website of Sate Public Procurement Portal http://sppp.rajasthan.ov.in Therefore, the Bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provisions of the Act and the Rules and this Bidding Document, the provisions of the Act and the Rules shall prevail.

1. शुल्क :–

i. निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग राशि एवं निविदा प्रतिभूति राशि पृथक–पृथक डी.डी/बैंकर्स चैक अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के नाम से देय होगा। इसे सील बन्द लिफाफे में संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।

ii. इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी। निविदा प्रपत्र शुल्क किसी भी परिस्थिति में नही लौटाया जायेगा।

iii. शुल्क का विवरण निम्नानुसार हैः–

शुल्क का विवरण	निविदा शुल्क की राशि	विवरण
निविदा प्रपत्र का शुल्क	1,000/–	
निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	500/–	
निविदा प्रतिभूति राशि	70,000/–	

2. **निविदादाता फर्म की विधिक संरचना** – निविदादाता फर्म का पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, सोसायटी या अन्य गठन हेतु कानूनी दस्तावेज पार्टनरशिप डीड/कम्पनी या सोसायटी का रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त के संबंध में फर्म का सक्षम स्तर से जारी ऑथराईजेशन लेटर संलग्न करना आवश्यक है।

3. **अनुभवः–** आमंत्रित निविदा में प्रस्तुत विवरण के अनुसार जवाहर कला केन्द्र में में Rate Contract monthly basis and programmes for Vehicle hiring services कार्य के दर अनुबंध के संबंध में उक्त कार्य करने हेतु 5 वर्षों का अनुभव जिसमें सरकारी विभागों/राजकीय उपक्रमों में वाहन उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यादेश मिला हो व संबंधित कार्य का कम से कम गत 5 वित्तीय वर्षों (वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 व 2024–25) में से किसी एक वर्ष में न्यूनतम राशि रू. 10.00 लाख के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा जारी <u>**अनुभव प्रमाण–पत्र/कार्यादेश + भुगतान स्वीकृति**</u> की सत्यापित प्रति तकनीकी दस्तावेजों के साथ संलग्न करावें।

4. पात्रताः–

i. निविदादाता फर्म का गत 5 वित्तीय वर्षों 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 व 2024–25 में औसत वार्षिक टर्न ऑवर राशि रू. 20.00 लाख आवश्यक है। जिसके प्रमाण स्वरूप फर्म को चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित (सी.ए. के पंजीयन संख्या, यू.बी.एन. नं. एवं सील अंकित करते हुए) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Scanned with CamScanner

5. दस्तावेज :—

i. निविदा के साथ निविदादाता द्वारा वैद्य जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ii. निविदा के साथ पेन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

iii. निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि तक वैद्य होना चाहिए।

iv. निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या अंकित किया जाना आवश्यक है।

v. निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर निविदादाता फर्म का सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

vi. निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप इससे संबंधित परिशिष्ट सत्यापित कर निविदा के साथ प्रस्तुत करने होगे। यदि किसी निविदादाता ने सशर्त निविदा प्रस्तुत की है तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

6. **वैद्यताः—** निविदा की वैद्यता अवधि तकनीकी निविदा खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी। निविदा की वैद्यता अवधि में नियमानुसार एवं आवश्यकता होने पर वृद्धि की जा सकेगी।

7. **निविदा हेतु स्पष्टीकरण :—** उक्त कार्य के संबंध में किसी प्रकार की सूचना एवं स्पष्टीकरण हेतु किसी भी कार्य दिवस में निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि से पूर्व इस कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा लिखित में दिया जा सकता है। स्पष्टीकरणों के लिए समस्त अनुरोध व उनके जवाब समस्त निविदा लगाने वालों को सूचित किये जायेगें एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल में प्रकाशित किये जायेगें।

8. **निविदा की प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि :—** निविदा आमन्त्रण सूचना में विनिर्दिष्ट समय एवं तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9. **बोलियों का खोला जानाः—** तकनीकी एवं वित्तीय निविदा निर्धारित तिथि पर निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।

10. **निविदा दस्तावेजों में परिवर्तनः—** निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से पूर्व उपापन संस्था द्वारा शुद्धि—पत्र जारी कर निविदा दस्तावेजों में नियमानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज इसके लिए उपापन में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना प्रसारित की जायेगी व संस्था द्वारा निविदादाताओं को निविदा प्रस्तुत करने/संशोधन के लिए पर्याप्त समय दिया जायेगा।

11. **बोलियों का मूल्यांकनः—**

1. निविदा में निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति राशि जमा करवाये जाने पर उन निविदादाताओं की तकनीकी निविदा खोली जायेगी।
2. निविदा में वर्णित तकनीकी योग्यताओं के दस्तावेजों में कमी या अपलोड नहीं किये जाने पर नियमानुसार उक्त निविदा दाता को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जावेगा।
3. वित्तीय निविदा का मूल्यांकन अथवा सफल निविदादाता का निर्धारण न्यूनतम निविदा अथवा सबसे लाभप्रद निविदा के आधार पर किया जायेगा। न्यूनतम निविदादाता का निर्धारण हेतु मापदण्ड वित्तीय निविदा में अंकित किये गये हैं।

12. **सामान्य सूचनाः—**

i. विस्तृत शर्तों को जानने के लिए विभागीय निविदा **परिशिष्ट — अ, ब, स, द तथा annexure A, B, C, D** का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जा सकता है।

ii. निविदादाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर उपापन संस्था द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होनी पाए जाने पर निविदादाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण लिया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

iii. उपापन संस्था किसी भी निविदा अथवा उसके भाग को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकती है।

iv. सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम–2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं निविदा दस्तावेज की शर्ते/प्रावधान लागू होंगे।

13. वाहन व सेवाओं की निम्न गुणवत्ता अथवा स्पेसिफिकेशन के अनुरूप नहीं होने पर वाहन व सेवाओं को उपापन संस्था नियमानुसार अन्य निविदादाता से कराने के लिए निर्णय हेतु सक्षम होगी एवं वाहन व सेवाओं के लिए निविदत राशि एवं अन्य निविदा दाता से वाहन सेवाओं के लिए व्यय राशि के अन्तर राशि को संबंधित फर्म से नियमानुसार वसूल की जावेगी।

14. वित्तीय निविदा के अनुसार 1 वर्ष तक कार्य जवाहर कला केन्द्र, जयपुर द्वारा निर्देशित स्थान पर करना होगा।

15. निविदादाता द्वारा दर वित्तीय निविदा में भरी जायेंगी न्यूनतम दर के तुलना अनुसार सफल निविदादाता का निर्धारण किया जायेगा।

16. निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा/निविदा का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के बाद समस्त प्रपत्रों/परिशिष्ठों/ अनुलग्नकों को पूर्ण रूप से भरकर ही निविदा प्रस्तुत की जावें।

17. डीडी जमा कराने हेतु लिफाफे पर निविदा का नाम, विभाग का नाम एवं निविदादाता फर्म का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर अंकित करना अनिवार्य है।

18. निविदा से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों तथा निविदा के समस्त प्रपत्रों की पूर्ति कर (पूर्ण रूप से भरकर) प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (सील सहित) संलग्न किया जाना आवश्यक है।

19. फर्म को किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्ट ना होने का शपथ–पत्र निविदादाता फर्म के लैटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में फर्म को तकनीकी रूप से अयोग्य माना जायेगा।

20. निविदा प्रस्तुत करने के बाद निविदा के सम्बन्ध में निविदादाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किए हुये है, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होगे।

21. निविदा में अनावश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाये। निविदा में चाहे गये दस्तावेज सुव्यवस्थित रूप से पृष्ठांकन करते हुए व बिड के प्रारम्भ में इंडेक्स बनाकर प्रस्तुत किये जाये।

22. उपरोक्तांकित शर्तों एवं विभागीय निविदा **परिशिष्ठ–अ, ब, स, द तथा annexure A, B, C, D** में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।

23. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी एवं स्पष्टता हेतु उपापन अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

अतिरिक्त महानिदेशक,
जवाहर कला केन्द्र, जयपुर

Scanned with CamScanner

भाग–2

निविदा हेतु विशेष शर्तें

1. जवाहर कला केन्द्र में मासिक आधार एवं केन्द्र के कार्यक्रमों में किराये पर वाहन की सेवाओं हेतु वार्षिक दर संविदा कार्य की तकनीकी निविदा प्रपत्र में वर्णित सूचना के अनुसार एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र में दरें भरकर पृथक ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।

2. (i) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु आरक्षण माल की निविदा प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में उपरोक्त कार्य हेतु पंजीकृत वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ही पात्र होगें जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में उद्यगिता ज्ञापन। अभिस्वीकृति (EM-11) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्रस्तुत करना होगा। उक्त उद्यमियों पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु वित्त विभाग द्वारा RTPP-2013 नियम–33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के समस्त प्रावधान लागू होंगे एवं अधिसूचना में निर्देशित शपथ पत्र या छूट हेतु निर्देशित वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही इसे माना जायेगा। इसके अभाव में निविदा निरस्त की जा सकती है।

3. **निविदा प्रतिभूति राशिः–**

   i. निविदा प्रतिभूति राशि उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। निविदा हेतु लागत राशि रू. 35.00 लाख का 2 प्रतिशत राशि रू. 70,000/- जमा कराने होंगे। राजस्थान के लघु उद्योगो की स्थिति में यह प्रदाय के लिए प्रदत मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगो से भिन्न रूग्ण उद्योगो की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित है यह निविदा के मूल्य का 01 प्रतिशत होगी।

   ii. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के विभाग/राजकीय उपक्रमों/कंपनी/बोर्ड को निविदा प्रतिभूति राशि जमा करने की आवश्यकता नही है। किन्तु निविदा प्रतिभूति के स्थान पर, राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्दीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से निविदा प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी।

   iii. राजस्थान राज्य के वह सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन। अभिस्वीकृति उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो, के अतिरिक्त अन्य फर्मो को बोलियों के साथ निविदा आमंत्रण सूचना में अंकित निर्धारित निविदा प्रतिभूति राशि के लिए घोषणा पत्र मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा वे उद्यम जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन। अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, के द्वारा निविदा सूचना में अंकित निविदा प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि के लिए घोषणा पत्र निविदा के साथ मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को निविदा प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जावेगी। उपरोक्त अंकित प्रमाण पत्र निविदा जारी होने की अन्तिम तिथि से पूर्व के जारी होने आवश्यक है। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही निविदा प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त दोनो प्रमाण पत्रों के अभाव में छूट का लाभ नही दिया जायेगा और निर्धारित निविदा प्रतिभूति राशि के लिए घोषणा पत्र के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा। राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को निविदा प्रपत्र निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाएगी। निविदादाता द्वारा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के नियम 11 में अंकित फार्म बीः के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन निविदा के साथ उपलब्ध कराने होंगे। इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

Scanned with CamScanner

iv. निविदा प्रतिभूति का समपहरण निविदा प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित मामलों में समपहरण कर लिया जाऐगा।

(क) जब निविदादाता निविदा खुलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ख) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।

(ग) जब निविदादाता निविदा स्वीकृति की सूचना के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(घ) जब सफल निविदादाता निर्धारित सप्लाई अवधि में सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।

(ड) यदि निविदा लगाने वाला अधिनियन और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट निविदा लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

4. दरे :–

i. निविदा हेतु दर वित्तीय निविदा में भरकर प्रस्तुत करना होगा। निविदा में दरे शब्दों एवं अंको दोनो रूप में लिखी जाएं एवं इसमें कोई त्रुटि एवं उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। किसी भी त्रुटि, शब्दों व अंकों में भिन्नता होने पर निविदा निरस्त की दी जायेगी।

ii. निविदा में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें ही दी जायें।

iii. कार्य के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। अतः निविदा में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लाई जाती है तो ऐसी निविदा को सशर्त निविदा मानकर निरस्त कर दिया जाएगा।

iv. निविदा दरें खुलने के पश्चात् यदि कोई निविदादाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी निविदा निरस्त कर निविदा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

v. निविदादाता द्वारा वित्तीय निविदा में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु निविदा दी जावेगी। निविदा सूचना में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई निविदा मान्य नहीं होगी। जित्तके आधार पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

5. निरीक्षण–

निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वाहन/सेवाऐं अनुमोदित नही की जायेगी उन्हें रद्द किया जावेगा तथा निविदादाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला जावेगा।

6. कार्य पूर्णता अवधि :–

i. फर्म को कार्यादेश की दिनांक से 1 वर्ष तक कार्य करना होगा। निर्धारित समयावधि में यदि कार्य करने में असफल रहती है तथा निर्धारित अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही कार्य अवधि बढ़वाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए जिनके कारण कार्य अवधि बढ़वाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि बढाने या नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया जावेगा।

ii. यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई कार्य का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम उपाप्त करती है तो निविदा लगाने वाला किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

iii. यदि मूल आदेश ई–निविदा बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया है तो अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

Scanned with CamScanner

7. **करार :–**

i. निविदा में अंकित कार्य हेतु सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है। अनुबन्ध करार के पश्चात् कार्य आदेश दिया जावेगा। करार पत्र के निर्धारित प्रारूप में एवं निर्धारित अवधि में अनुबंध निष्पादन नही करने पर निविदा निरस्त योग्य है।

ii. निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में राशि रूपये 500/- /निर्धारित मूल्य अनुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा।

8. **कार्य संपादन प्रतिभूति राशि :–**

i. कार्य सम्पादन प्रतिभूति : कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबन्ध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल निविदा लगाने वालों से ली जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ठ उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

ii. यदि सफल निविदादाता उस आईटम के लिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के बतौर जो उधोग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन। अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त किए हुए हो तो उस वस्तु की लागत मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।

iii. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औधौगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, के मामले में वस्तु की लागत मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर होगी।

iv. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।

v. इस राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

vi. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, के नाम से निम्न रूप में दी जा जकेगी :–

(क) किसी अनुसचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट या बैंकर द्वारा।

(ख) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट / लिखित यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। निविदा के समय वे उसके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेगी।

(ग) किसी अनुसूचित बैंक की गारंटी/गारंटियां जो जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की नियम जमा रसीद (एफडीआर)।

यह निविदा लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम जारी होगी और बोव (लगाने से उपापन संस्था के नाम जारी होगी और निविदा लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि निविदा लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित निविदा लगाने वाले की सहमंति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन जमा FDR ऐसी नियत जमा पर अर्जित व्याज के साथ समपहत की ली जायेगी।

Scanned with CamScanner

(ङ) खण्ड 'ख' से 'ड़' के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए निविदा लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनांक की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

vii. संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकाया नही है, नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय किया जाएगा।

(क) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशिः कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का निम्नांकित मामलों में समपहरण पूर्ण या आंशिक रूप से किया जाएगाः–

(ख) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ग) जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(घ) जब निविदादाता कार्यादेश के अनुसार निर्धारित अवधि में वाहन एवं संवाओं की आपूर्ति आरम्भ करने में असफल रहता हो। सुरक्षा राशि में समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

viii. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपर्ण निविदादाता द्वारा निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

9. **भुगतान :–**

i. किसी भी प्रकार का अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

ii. सफल फर्म द्वारा किये गये कार्य के संबंध में, सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा।

iii. संतोषजनक सेवाओं के आधार पर नियमानुसार कटौती उपरान्त भुगतान किया जायेगा।

10. निविदा शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्ते स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो निविदा शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध मे है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाएगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गए निविदा स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।

11. विभाग के पास किसी भी निविदा को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या निविदा सूचना में अंकित किसी भी कार्य को एक से अधिक निविदादाता को वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

12. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, जयपुर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

13. मूल निविदा प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ चाही जा रही है वह स्वयं निविदादाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नहीं होगी।

14. निविदा के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।

15. **<u>निविदा प्रपत्र मूल्यांकन की शर्ते :–</u>**

(i) तकनीकी निविदा का मूल्यांकन :– तकनीकी निविदा प्रपत्र में अंकित शर्तो की पालना करने वाली फर्मो को तकनीकी रूप से सफल मानते हुए वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

Scanned with CamScanner

(ii) वित्तीय निविदा का मूल्यांकन :-- वित्तीय निविदा स्वीकृत करने का आधार तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त निविदादाताओ मे से एल–1 फर्म की वित्तीय निविदा को स्वीकार किया जाएगा। वित्तीय निविदा में एक से अधिक फर्मे एल–1 होने की दशा में संवेदको के मूल्यांकन पत्रक (Assessment sheet) के अंको के आधार पर निर्णय किया जाएगा। मूल्यांकन पत्रक परिशिष्ठ – "स" संलग्न है। वित्तीय प्रपत्र के प्रत्येक मद मे एक रूपये से कम दर अंकित करने पर निविदा को स्वीकार नही किया जाएगा।

16. संलग्न प्रपत्र भरने की शर्ते :–

(i) मूल्यांकन पत्रक (Assessment sheet) परिशिष्ठ–"स" के रूप में संलग्न है।

(ii) वाहनों की उपलब्धता का विवरण परिशिष्ठ – "द" के रूप में संलग्न है।

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/ है।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप)

Scanned with CamScanner

भाग–2

वाहन सेवाओं हेतु विशेष शर्ते

1. वाहन का मॉडल जुलाई 2021 अथवा इसके पश्चात् का होना चाहिए। उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहनों का पंजीयन प्रमाण–पत्र उपलब्ध करवाना होगा।
2. वाहन चालक एवं वाहन में इंधन/ऑयल आदि की आपूर्ति एवं आवश्यक मरम्मत इत्यादि फर्म द्वारा स्वयं को करनी होगी।
3. ड्यूटी के दौरान वाहन चालकों को मद्यपान/धुम्रपान व किसी भी प्रकार का नशा वर्जित होगा।
4. कार्यक्रमों में मिनी बस, सिटी बस, रूट बस नहीं लगवाई जावेगी।
5. वाहन चालक राज्य सरकार द्वारा सर्विस हेतु निर्धारित ड्रेस पहन कर ही वाहन चलाएगा एवं यातायात विभाग द्वारा निर्धारित सभी नियमों का बिना किसी अपवाद के पूरी तरह पालन करेगा। नियमों का पालन नहीं करने व दुर्घटना से होने वाले नुकसान की फर्म स्वयं जिम्मेदार होगी एवं भरपाई व देनदारी पूरी तरह से फर्म की होगी।
6. वाहनों के उपयोग के समय वाहन चालक द्वारा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में लॉगबुक संधारित करनी होगी। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित वाहन चालकों के लिए न्यूनतम् वेतन का घोषण पत्र फर्म द्वारा प्रत्येक माह के बिल के साथ देना होगा।
7. केन्द्र के अधिकारियों के उपयोग हेतु अनुबंधित वाहन हर कार्य दिवस में प्रातः 9.00 बजे से सायं 9.00 बजे तक उपलब्ध करवाना होगा तथा लॉगबुक में समय व कि.मी. वही अंकित करा जावेगा जिस समय वाहन ऑफिस में उपलब्ध कराया गया है तथा छोडा गया है। प्रातः 9.00 बजे से पूर्व एवं सायं 9.00 बजे पश्चात् भी वाहन की आवश्यकता होने पर वाहन उपलब्ध कराना होगा।
8. निविदादाता द्वारा वित्तीय/दर निविदा में दरें समस्त लागू करों रहित अंकित की जावे। फर्म द्वारा अधिकतम किलोमीटर जो कि उक्त दर में देय हो, उसका उल्लेख किया जावे। प्रतिदिन 12 घंटे गाडी प्रयोग में ली जा सकेगी। गाडी का प्रयोग निर्धारित घंटों में किसी भी स्थान के लिए किया जा सकेगा। केन्द्र द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जायेगा वाहनों का विवरण एवं समय 'जी' अनुसूची में स्पष्ट रूप से अंकित है, जिसके अनुरुप ही दर प्रस्तुत की जाए।
9. रविवार एवं राजपत्रित अवकाश दिवसों को भी वाहन की आवश्यकता होने पर आपूर्ति करनी होगी।
10. वाहन का पार्किंग व्यय, टोल टेक्स, यात्रा रोड़ टेक्स (अन्य राज्यों में यात्रा हेतु) भुगतान की रसीद देने पर विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
11. वाहन दुर्घटना ग्रस्त होने/चालान होने पर होने वाली क्षति के लिए वाहन मालिक स्वयं जिम्मेदार होगा तथा केन्द्र द्वारा किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
12. बिना कारण बताये वाहन का अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार महानिदेशक जवाहर कला केन्द्र को होगा। ऐसी स्थिति में अनुबंधित वाहन ने जितने दिन कार्य किया है उतने ही दिन का आनुपातिक भुगतान किया जायेगा।
13. अनुबंधित वाहन के बिना स्वीकृति गैर हाजिर रहने पर 1000/– रूपये प्रति दिन के हिसाब से कटौती की जायेगी। वाहन चालकों केन्द्र द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना नहीं करने पर मासिक बिल से 1000/– प्रति दिन की दर से कटौती की जाऐगी।
14. वाहन मरम्मत के लिए ले जाने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था नही करने पर उक्त हेतु प्रतिदिन 1000/ प्रति दिन प्रति वाहन की दर से कटौती की जाएगी।
15. अनुबंधित वाहन पर यथा समय एक ही चालक कार्यरत रहेगा। वाहन मालिक द्वारा बार–बार चालक नही बदला जाएगा। वाहन चालक का केन्द्र के अधिकारियों/ कर्मचारियों के प्रति व्यवहार पूर्ण रूप से मर्यादित रहेगा। चालक के ड्राईविंग लाईसेंस मय फोटो व नाम पते की सूचना विभाग को देनी होगी।

Scanned with CamScanner

16. केन्द्र की अनुमति के बिना वाहन एवं वाहन चालक नही बदला जायेगा। यदि वाहन अथवा वाहन चालक केन्द्र की पूर्वाअनुमति के बदला जाता है तो मासिक बिल से प्रति वाहन अथवा वाहन चालक बिल राशि से रूपये 5000/– की कटौती की जायेगी।

17. **<u>अन्य शर्ते :–</u>**

i. वाहन यथा सम्भव कार्यालय परिसर में ही खड़ा किया जाना चाहिए, लेकिन जोखिम अनुमोदित फर्म की ही होगी।

ii. निविदादाता को वाहन पर एक प्लेट यह उदृत करते हुए कि वाहन राजकीय कर्तव्य पर है, उपलब्ध करानी होगी। प्लेट ऐसी होगी कि इसके फ्रेम से खींचकर हटाया जा सकें। वाहन के कर्तव्य से मुक्त होते समय यह प्लेट हटाकर प्रभारी अधिकारी के संरक्षण में रखी जानी चाहिये। इस विषय में परिवहन विभाग राजस्थान द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जानी होगी।

iii. कर्तव्य स्थल (Duty Point) से दूरी व समय की गणना की जायेगी।

iv. अनुमोदित निविदादाता यदि वाहन उपलब्ध नहीं कराता है, शास्ति रूपये 1,000/– प्रतिदिन प्रति वाहन अधिरोपित की जायेगी तथा विभाग किराये पर अन्य वाहन ले सकता है यदि किराये का अतिरिक्त भुगतान किया जाता है तो वसूली अनुमोदित निविदादाता से की जायेगी।

v. यदि वाहन सड़क पर खड़ा हो जाता है तो निविदादाता द्वारा अन्य वाहन स्वंय की लागत पर उपलब्ध करायेगा।

vi. निविदादाता द्वारा प्रविष्ठि के लिए लॉग शीट तीन प्रतियों में प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। लॉग शीट में निम्नलिखित स्तम्भ होगें :–

i वाहन संख्या ii तिथि iii उपस्थित/प्रस्थान समय
iv उपस्थिति स्थान v उपस्थिति के समय स्थान पर कि.मी पठन (प्रारम्भिक)
vi की गई यात्रा का विवरण
vii वाहन के मुक्त करने के समय एवं स्थान पर कि.मी. पठन (अंतिम)
viii की गई कुल यात्रा कि.मी. (शब्दो में तथा अंको में)
ix मुक्त करने का समय x वाहन की आगामी मांग (तिथि,समय,स्थान)
xi वाहन के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

vii. वाहन से संबंधित पंजीयन, रोड़ टैक्स, पॉल्यूशन प्रमाण–पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र तथा बीमा वहन एवं यातायात नियमों के तहत आवश्यक नियमों की पूर्ती की जिम्मेदारी वाहन आपूर्तिकर्ता की स्वयं की होगी।

viii. केन्द्र द्वारा अनुबंधित वाहन की समय–समय पर जांच की जाएगी एवं सही नही पाए जाने पर ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने पर वाहन को बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिया जायेगा एवं शास्ती स्वरूप बिल से 10% तक की कटौती की जा सकती है।

ix. मासिक आधार पर जवाहर कला केन्द्र के महानिदेशक व अतिरिक्त महानिदेशक हेतु निर्देशानुसार सियाज/अमेज/डिजायर/समकक्ष श्रेणी के वाहन की आपूर्ति करनी होगी। वाहन वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित दरों व शर्तो पर उपलब्ध कराने होंगे। केन्द्र में मासिक आधार पर वाहन 1500 किलोमीटर की सीमा में उपलब्ध कराये जायेंगे। वित्त विभाग द्वारा कार्यालय उपयोग हेतु मासिक आधार पर किराये की दरो में वृद्वि/कमी की जाती है, तो वह दरें स्वतः लागू हो जायेगी। दरों पर नियमानुसार जी.एस.टी अतिरिक्त देय होगी।

x. निविदादाता की वाहनों के सम्बन्ध में सुदृढ आधारभूत स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये दरें अनुमोदन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय महानिदेशक जवाहर कला केन्द्र द्वारा लिया जायेगा।

xi. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा, जिसमें महानिदेशक जवाहर कला केन्द्र का निर्णय अन्तिम होगा।

xii. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

Scanned with CamScanner

xiii. वाहन से सम्बन्धित पंजीयन शुल्क/कर/बीमा एवं अन्य व्यय वाहन मालिक के द्वारा वहन किया जायेगा।

xiv. अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाये गये वाहन के चालक केन्द्र द्वारा अधिकृत अधिकारी के निर्देश पर ही वाहन को कार्यालय उपयोग हेतु लेकर जायेंगे।

xv. अनुबन्धकर्ता वाहन जवाहर कला केन्द्र परिसर में पार्क करेगा यदि वह वाहन केन्द्र में पार्क न करके अन्यत्र स्थान पर पार्क करता है नियमानुसार पार्किंग स्थल तक चलाई गई दूरी हेतु केन्द्र द्वारा किसी तरह की रकम का संदाय नहीं किया जायेगा। वाहन का रिपोर्टिंग एवं रिलिविंग बिन्दु जवाहर कला केन्द्र होगा।

xvi. आपात परिस्थितियों में राज्य सरकार के निर्देशों पर कार्यालय के बंद रखे जाने की स्थिति में उक्त अवधि का भुगतान देय नही होगा।

xvii. मासिक वाहनों की आर.सी., ड्राइवरों के परिचय पत्र मय लेटेस्ट फोटो, आधार कार्ड एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र व मोबाईल नम्बर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अनिवार्य रूप से केन्द्र को उपलब्ध कराने होगें। ड्राइवर व वाहन परिवर्तन की स्थिति में सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप)

Scanned with CamScanner

<u>निविदादाताओं द्वारा घोषणा</u>
<u>(on the letter head of firm)</u>

मैं/हम घोषणा करता हैं/ करते है कि मैनें / हम निविदा की शर्तो एवं वित्तीय निविदा के अनुसार कार्य की तकनीकी योग्यता एवं वांछित पंजीयन रखते हैं। मेरे/हमारे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ,ब.' तथा निविदा सूचना को पूर्ण रूप ये पढकर समझ लिया है। मेरे/हमारे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की जाएगी/करूंगा/करेगे। और मैं/हम उपरोक्त को अक्षरशः स्वीकार करते है।

मुझे/ हमारी फर्म को किसी भी राजकीय संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है और हमें गत तीन वर्षों मे संबंधित कार्य हेतु बहिष्कृत भी नहीं किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए जो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी निविदा प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जाए तका निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

Scanned with CamScanner

तकनीकी निविदा प्रपत्र
परिशिष्ठ – "ब"

जवाहर कला केन्द्र
जे.एल.एल.मार्ग, जयपुर–302004
ई–निविदा सूचना संख्या /2025–26

क्र.सं.	विवरण	विवरण	संलग्न दस्तावेज का विवरण (दस्तावेज की सत्यापित प्रति पृष्ठ संख्या सहित संलग्न करावें)
1.	फर्म/संस्था/बिड दाता का नाम		पृष्ठ सं.
2.	फर्म मालिकाना है या साझेदारी अथवा रजिस्टर्ड संस्था (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)		पृष्ठ सं.
3.	फर्म/संस्था/बिड दाता का अधिकृत पता		पृष्ठ सं.
4.	फर्म/संस्था/बिड दाता के अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पत्र		पृष्ठ सं.
5.	मोबाईल नं./ईमेल आई.डी.		पृष्ठ सं.
6.	फर्म/संस्था/बिड दाता का पैन कार्ड नं.		पृष्ठ सं.
7.	बोली प्रपत्र का शुल्क का विवरण		पृष्ठ सं.
8.	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क		पृष्ठ सं.
9.	बोली प्रतिभूति राशि का विवरण		पृष्ठ सं.
10.	निविदा प्रपत्र में निर्देशित परिशिष्ट अ, ब, स एवं द		पृष्ठ सं.
11.	जी.एस.टी. पंजीयन संख्या		पृष्ठ सं.
12.	पेन पंजीयन संख्या		पृष्ठ सं.
13.	फर्म का गत 5 वित्तीय वर्षो (वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 व 2024–25) में औसत वार्षिक टर्न ओवर राशि रूपये 20.00 लाख रू. वार्षिक होना आवश्यक है। (निविदा की शर्तो के अनुसार)		पृष्ठ सं.
15.	निविदादाता फर्म में पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, सोसायटी या अन्य गठन हेतु कानूनी दस्तावेज पार्टनरशिप डीड/कम्पनी या सोसायटी का रजिस्ट्रेशन (यदि लागू हो)		पृष्ठ सं.
16.	बिड सिक्योरिटी राशि जमा का विवरण		पृष्ठ सं.
17.	बिड प्रोसेसिंग शुल्क जमा का विवरण		पृष्ठ सं.

Scanned with CamScanner

18.	निविदा प्रपत्र शुल्क जमा का विवरण		पृष्ठ सं.
19.	फर्म के पास फर्म के नाम से अथवा प्रोपराईटर/पार्टनर के नाम से न्यूनतम 5 पंजीकृत वाहन होने आवश्यक है, जिसका विवरण व अन्य उपलब्ध वाहनों का विवरण (संलग्न टेबल में भर कर प्रस्तुत करावें तथा स्वयं के वाहनों की आर.सी. की कॉपी भी संलग्न करावें। वाहन निविदा की दिनांक को 4 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए)		पृष्ठ सं.
20.	राजकीय विभागों/उपक्रमों का अनुभव का प्रमाण–पत्र/अनुबंध एवं कार्यादेश की प्रति (निविदा की शर्तों के अनुसार)		पृष्ठ सं.

नोटः– तालिका अनुसार आवश्यक दस्तावेज ई–प्रॉक पर तकनीकी निविदा में संलग्न नहीं करने पर निविदादाता को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित करके वित्तीय निविदा को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर
मोहर व दिनांक सहित

Scanned with CamScanner

फर्म के पास वाहनों की उपलब्धता का विवरण

क्र.स.	विवरण	वाहनों की उपलब्धता (संख्या)	फर्म के नाम से रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या (आर.सी. संलग्न करावें)
1	सियाज ए.सी./समकक्ष		
2	स्विफ्ट डिजायर ए.सी./समकक्ष		
3	इनोवा क्रिस्टा एसी		
4	अरटिगा एसी/समकक्ष		
5	डीलक्स बस 18 सीटर ए.सी		
6	डीलक्स बस 35 सीटर ए.सी.		
7	लग्जरी डीलक्स बस 35 सीटर ए.सी		

निविदादाता के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

वित्तीय बोली प्रपत्र

Name of Work: Vehicle on Monthly Package Rates Basis and Hiring Basis for Programs & Event organised by Jawahar Kala Kendra

Sl. No.	Item Description	Quantity	Units	Basic Rate In Figures To be entered by the Bidder (Excluding GST but including other exp.)	Total Amount Without Taxes	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	6	7
1	**5 Seater - Ciaz (AC) / Honda Amaze (AC) / Swift Dezire (AC) Or equivalent**					
2	Upto 8 Hours	1.000	Nos		0.00	INR Zero Only
3	Upto 12 Hours	1.000	Nos		0.00	INR Zero Only
4	Rates per Hour after 8 & 12 Hours	1.000	Nos		0.00	INR Zero Only
5	Rates per Kilometer for State and Out of State	1.000	Nos		0.00	INR Zero Only
6	**7 Seater - Innova Crysta (AC) / Mahindra SUV (AC) Or equivalent**					
7	Upto 8 Hours	1.000	Nos		0.00	INR Zero Only
8	Upto 12 Hours	1.000	Nos		0.00	INR Zero Only
9	Rates per Hour after 8 & 12 Hours	1.000	Nos		0.00	INR Zero Only
10	Rates per Kilometer for State and Out of State	1.000	Nos		0.00	INR Zero Only
11	**18 Seater- Tampo Traveller (AC) / Deluxe Mini Bus (AC) Or equivalent**					
12	Upto 8 Hours	1.000	Nos		0.00	INR Zero Only
13	Upto 12 Hours	1.000	Nos		0.00	INR Zero Only
14	Rates per Hour after 8 & 12 Hours	1.000	Nos		0.00	INR Zero Only
15	Rates per Kilometer for State and Out of State	1.000	Nos		0.00	INR Zero Only
16	**35 Seater - Deluxe Bus (AC) Or equivalent**					
17	Upto 8 Hours	1.000	Nos		0.00	INR Zero Only
18	Upto 12 Hours	1.000	Nos		0.00	INR Zero Only
19	Rates per Hour after 8 & 12 Hours	1.000	Nos		0.00	INR Zero Only
20	Rates per Kilometer for State and Out of State	1.000	Nos		0.00	INR Zero Only
21	**25 Seater - Luxury Deluxe Bus (AC) Or equivalent**					
22	Upto 8 Hours	1.000	Nos		0.00	INR Zero Only
23	Upto 12 Hours	1.000	Nos		0.00	INR Zero Only
24	Rates per Hour after 8 & 12 Hours	1.000	Nos		0.00	INR Zero Only
25	Rates per Kilometer for State and Out of State	1.000	Nos		0.00	INR Zero Only
Total in Figures					0.00	INR Zero Only
Quoted Rate in Words					**INR Zero Only**	

Scanned with CamScanner

नोट :–

1. प्रपत्र में दरें ई–प्रोक पोर्टल में अंकित करायें।

2. L-1 बोलीदाता का निर्धारण कॉलम की कुल राशि की तुलना के आधार पर किया जावेगा।

3. सभी आईटम में दरें भरना अनिवार्य है। किसी भी मद को रिक्त रखने पर वित्तीय बोली निरस्त कर दी जावेगी।

4. बोलीदाता समस्त दरें कार्य की शर्तों के अनुसार एवं व्यवहारिक दरें भरें किसी भी मद में 1/– रूपये से कम दर दिये जाने पर वित्तीय बोली निरस्त कर दी जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अतिरिक्त महानिदेशक
जवाहर कला केन्द्र, जयपुर

Scanned with CamScanner

Annexure A

(हस्ताक्षरित व मोहर लगाकर तकनीकी बिड के साथ संलग्न करें)

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency. Fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A. Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

   i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

      a. have controlling partners/ shareholders in common; or
      b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
      c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
      d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
      e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
      f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
      g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Scanned with CamScanner

Annexure B

(हस्ताक्षरित व मोहर लगाकर तकनीकी बिड के साथ संलग्न करें)

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

In relation to my/our Bid submitted to.........................for procurement of............................ in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated....................... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Scanned with CamScanner

Annexure-C

(हस्ताक्षरित व मोहर लगाकर तकनीकी बिड के साथ संलग्न करें)

Grievance Redressal during Procurement Process

The Designation and address of the First Appellate Authority is Director, General, Jawahar Kala Kendra, Jaipur.
The Designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary/Secretary, Art and Cultural, Deptt, Jaipur.

1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

2) The officer to whom an appeal is filed under para (I) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of a procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (I) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

Scanned with CamScanner

7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,

i) Hear all the parties to appeal present before him; and

ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the mailer, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Scanned with CamScanner

FORM No. I

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. .... of .... Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   - (i) Name of the appellant:
   - (ii) Official address, if any:
   - (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s)
   - (i)
   - (ii)
   - (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal of the representative:
5. Number of Affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal :

   ....

   .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer :

   ....

   ....

   ....

   ....

Place ....

Date ....

Scanned with CamScanner

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) The Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not he more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the service provider fails to do so, the Procuring entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the service provider.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods/services)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair. Transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Scanned with CamScanner